

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 589]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 नवम्बर 2010—कार्तिक 28, शक 1932

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 19 नवम्बर 2010

क्र. एफ-ए-3-23-2010-1 पांच (92).—मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) (जो इसमें इसके पश्चात् प्रवेश कर अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को, कालम (2) में विनिर्दिष्ट सीमा तक, कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट कालावधि तक के लिए, उक्त सारणी के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धनों तथा शर्तों के अध्वधीन रहते हुए उक्त अधिनियम के अधीन कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है :—

सारणी

माल का वर्ग	छूट की सीमा	कालावधि	निर्बन्धन तथा शर्तें, जिनके अध्वधीन रहते हुए छूट प्रदान की गई है
(1)	(2)	(3)	(4)
प्रवेश कर अधिनियम से संलग्न अनुसूची-2 के भाग-एक की प्रविष्टि 1 में यथाविनिर्दिष्ट लोहा तथा इस्पात.	भागत: जिससे कि प्रवेश कर की दर को एक प्रतिशत तक कम किया जा सके.	इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 31 मार्च, 2011 तक.	जब कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट माल का किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा किसी स्थानीय क्षेत्र में विक्रय हेतु प्रवेश कराया जाता है और ऐसे माल का, उसके द्वारा मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित को संलग्न प्ररूप में घोषणा पर विक्रय किया जाए.

प्ररूप

घोषणा

(वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक दिनांक के अधीन)

में, मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित (पता) मध्यप्रदेश वेत अधिनियम, 2002 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र क्रमांक (टिन) धारक, एतद्द्वारा, घोषणा करता हूँ कि मैंने उक्त

निगम के लिये और उसकी ओर से माल, जिसकी विशिष्टियाँ नीचे दी गई हैं, मेसर्स (विक्रेता का नाम तथा पता) जो उक्त अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक (टिन) धारक हैं, से क्रय किया है और वह माल उक्त निगम की ओर से रजिस्ट्रीकृत व्यापारी को उनके द्वारा विक्रय हेतु अन्य माल के विनिर्माण में उपभोग या उपयोग हेतु विक्रय करने के लिये आशयित है.

क्रय किए गए माल की विशिष्टियाँ

आदेश / बिल / बीजक केशमेमो / चालान की विशिष्टियाँ* क्र. तारीख (1)	माल का विवरण (2)	मात्रा (3)	मूल्य (रुपए में) (4)
कुल योग			

कुल मूल्य (अंकों में) रुपये (शब्दों में) रुपये मात्र.

स्थान

तारीख

हस्ताक्षर
प्रास्थिति

*जो लागू न हो उसे काट दें.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 19 नवम्बर 2010

क्र. एफ-ए-3-23-2010-1 पांच (92).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-23-2010-1 पांच (92) दिनांक 19 नवम्बर, 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 19th November 2010

FA- 3-23-2010-1-V-(92).—In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976) (hereinafter referred to as the Entry Tax Act), the State Government hereby exempts the class of goods specified in column (1) of the Table below from

payment of tax under the said Act to the extent specified in column (2), for the period specified in column (3), subject to the restrictions and conditions specified in column (4) of the said Table :—

TABLE

Class of goods (1)	Extent of exemption (2)	Period (3)	Restrictions and conditions subject to which exemption is granted (4)
Iron and steel as specified in entry 1 of Part-I of Schedule II appended to the Entry Tax Act.	Partly so as to reduce the rate of entry tax to one percent.	From the date of publication of this notification to 31st. March, 2011.	When the goods specified in column (1) are entered by a registered dealer into a local area for sale and such goods are sold by him to Madhya Pradesh Laghu Udyog Nigam Limited against a declaration in the appended Form.

FORM
Declaration

(Under CTD notification No. dated)

I, of Madhya Pradesh Laghu Udyog Nigam Limited (Address) holding registration certificate No. (TIN) under the Madhya Pradesh Vat Act, 2002, hereby, declare that I have purchased goods particulars of which are given below from M/s (Name and address of the seller) holding registration certificate (TIN) under the said Act for and on behalf of the said Nigam and that the said goods are intended for sale by the said Nigam to the registered dealer for consumption or use by him in the manufacture of other goods for sale.

PARTICULARS OF GOODS PURCHASED

*Particulars of purchase order/bill/invoice/cash memo/challen No.Date. (1)	Description of goods (2)	Quantity (3)	Value (in rupees) (4)
Total			

Total value (in figures) Rs. (in words)

Rs. only.

Place:

Date:

Signature
Status

*Strike out which is not applicable

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.